संख्या– 404 / III–2/06–14 (प्रा.आ.)/2006

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
सयुक्त सचिव,

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 19 जून ,2006

विषयः– जनपद पौडी–गढवाल में कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देवी रोड से सुखरौ घराट मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सतह लेपन का कार्य के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2006–07 में रतनपुर–शिब्बूनगर मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय/ व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग,पौडी के पत्र सं0–7317/36 (257) याता–पर्व/05 दिनांक 22.10.05 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में शासनादेश सं0–1264/III–2/05–47 (सा.)/03 टी.सी. दिनांक 12 अगस्त, 2005 के कमांक सं0–9 पर देवी रोड से सुखरो घराट मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की रू0 15.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं रू0 0.25 लाख के व्यय की स्वीकृति को निरस्त करते हुए इसके स्थान पर जनपद पौडी गढवाल में कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत रतनपुर –शिब्बूनगर मोटर मार्ग का डामरीकरण लम्बाई 0.75 किमी0 का उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 11.00 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित रू0 11.00 लाख (रू0 ग्यारह लाख मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 0.25 लाख (रू0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो की अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार क्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि नही किया जाय ।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि नही किया जायेगा ।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

9. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे ।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी

11. यदि उक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी ।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय ।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन का वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायें।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.07 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

16. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0– 156/XXVII-2/06 दिनांक 01 जून ,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या– 484 / (1)/ III–2/05 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग पटेल नगर देहरादून ।
2. आयुक्त गढवाल मंडल,पौडी ।
3. जिलाधिकारी पौडी /कोषाधिकारी, पौडी,लैन्सडाऊन ।
4. मुख्य अभियन्ता ,गढवाल क्षेत्र,लो0नि0वि0,पौडी ।
5. अधीक्षण अभियन्ता ,36 वां वृत्त,लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
6. श्री एल.एम.पन्त अपर सचिव वित्त (बजट) अनुभाग,उतरांचल ।
7. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल ।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल ।
9. लोक निर्माण अनुभाग 1/3/गार्ड बुक उत्तरांचल शासन ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव